संख्या-01/2021/वे0आ0-1-811/दस-2020-4(एम)/2015

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2021**

विषय- **अधिष्ठान सम्बन्धी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी ऑकड़ों के संकलन, उनके विश्लेषण तथा अधिष्ठान सम्बन्धी नीति विषयक मामलों का परीक्षण कर शासन को उपयोगी सुझाव देने हेतु वित्त विभाग के अधीन **"अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो"** स्थापित है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-3405/दस-89-88(एम)/89, दिनांक 20 अक्टूबर, 1989 द्वारा प्रारूप निर्धारित करते हुए प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च) सूचना मॉगी गयी थी। कुछ समय तक यह सूचना विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा ब्यूरो को उपलब्ध करायी जाती रही परन्तु विगत कई वर्षों से अब यह सूचना बन्द कर दी गयी है। आप सहमत होंगे कि कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी नीति विषयक मामलों में निर्णय लेने के लिये अधिष्ठान सम्बन्धी सूचनाएं न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आधारभूत भी है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप संख्या-1 व 2 में अपने विभाग/कार्यालय की **सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 28 फरवरी, 2021** तक निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, 38 दरबारी लाल शर्मा भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा भविष्य में भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अपने विभाग/कार्यालय की **सूचना संलग्न प्रारूपों में दिनांक 30 अप्रैल** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. यहॉ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष सीधे अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो को सूचना न भेजकर शासन के अपने प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायेंगे और शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा संकलित सूचना अपने स्तर से निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-01/2021/वे0आ0-811(1)/दस-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सभी विभागों/कार्यालयों से सूचना प्राप्त हो जाने पर संकलित सूचना शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु सूचना

विभाग/संस्था का नाम- **रूप पत्र-1**

दिनांक 31.01.2021 तक की स्थिति

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या			01.01.2016 से लागू वेतनमान	प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन		द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन		तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन		आगामी 03 वर्ष में अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों की संख्या एवं वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स लेवल						अभ्युक्ति
		स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद		वेतन मैट्रिक्स लेवल	लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	वेतन मैट्रिक्स लेवल	लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	वेतन मैट्रिक्स लेवल	लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	वर्ष 2021		वर्ष 2022		वर्ष 2023		
												संख्या	वेतन मैट्रिक्स लेवल	संख्या	वेतन मैट्रिक्स लेवल	संख्या	वेतन मैट्रिक्स लेवल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

नोटः- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों की सूचना भी एकत्र/संकलित कर (जनपद स्तर की सूचना सीधे न भेजकर) अपने स्तर से उपलब्ध करायें।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाओं की पूर्ण रूप से जॉच कर ली गयी है और वह सही है।

हस्ताक्षर-

पदनाम-

मुहर-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रूप पत्र-2

विभाग/कार्यालय का नाम-

क्र0 सं0	संवर्ग/पद का नाम	समूह "क", "ख", "ग" एवं "घ" जिसमें संवर्ग/पद आता हो	सेवा नियमावली लागू है अथवा नहीं	सेवा नियमावली लागू न होने की स्थिति में कार्यकारी आदेश जिससे संवर्ग/पद की सेवाएं नियंत्रित होती हो	सेवा नियमावली/ कार्यकारी आदेश की पठनीय प्रति संलग्न की जाय।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।